/ ~

154

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-631/2017 154 /पटना, दिनांक– 20.2.19

प्रेषक,

मो० सोहैल, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य) अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** (सामान्य) के लिए कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** के अधीन **06 (छः)** पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Triveniganj	Triveniganj	GEN	Prastawit Sadak 2 to Marik Tola Yadav Tola Tak	57	2.450	902	187.070
2	Triveniganj	Triveniganj	GEN	Prastawit Sadak 0-1 Anik Yadav Ghar to Begwa Tola Sharma Tola Tak	111	1.650	625	124.270
			Total			**4.100**	**1527**	**311.340**
3	Triveniganj	Pipra	GEN	Supaul Pipra Path to Mehta Tola Tak via Jhuknua	51	1.635	490	138.290
4	Triveniganj	Pipra	GEN	NH-106 se Mukhiya je ke Ghar ke Bagal se Ram Tola	42	0.505	600	40.440
5	Triveniganj	Pipra	GEN	Nirmali Bairiya MMGSY Path to Son Masir Sarma Tola Tak via Ratauli Gram Se High School	61	0.570	400	41.550
6	Triveniganj	Pipra	GEN	PMGSY Dumri Basulipur To Mushari Tola	67	0.820	400	50.680
			Total			**3.530**	**1890**	**270.960**
					Grand Total	**7.630**	**3417**	**582.300**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **28.01.2019** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) **इन** योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष **2018–19** एवं वर्ष **2019–20** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

157

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। योजना कार्यान्वयन हेतु राशि सक्षम प्राधिकार की अधियाचना पर ब्राडा द्वारा आवंटित की जाएगी। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**631/2017** के पृष्ठ–**07**/टि0 पर प्राप्त है।

6. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**28.01.2019** को संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**631/2017** के पृष्ठ–**39**/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाएगी एवं राशि ब्राडा को उपलब्ध करायी जाएगी तथा अधियाचना के अनुरूप आवंटन (प्राधिकार पत्र) ब्राडा द्वारा निर्गत किया जाएगा।

10. वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

11. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद से नहीं।

12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार के निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**631/17** पृष्ठ संख्या–**43**/टि0 पर दिनांक **11.02.2019** को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

152

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-**631/17** 154 /पटना, दिनांक– 20-2-19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, **कोशी (सहरसा)** /जिला पदाधिकारी, **सुपौल** /उप विकास आयुक्त, **सुपौल**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–**2**, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता–**4**, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधेपुरा**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **त्रिवेणीगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

20/2/19